



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072026-274231
CG-DL-E-07072026-274231

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3521]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948

No. 3521]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3683(अ).— जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46) में कतिपय निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या ट्रस्टों या आयोगों की निर्दिष्ट आय को छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 (1) द्वारा निरस्त कर दिया गया है;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) और (ख) में, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधान है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे 1961 का अधिनियम कहा गया है) के निरसन के बावजूद और उसकी उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यथा:-

(i) 1961 के अधिनियम के प्रावधानों का पूर्व प्रचालन और उसके तहत विधिवत रूप से जारी किया गया कोई आदेश या किया गया कोई कार्य; या

(ii) 1961 के अधिनियम या उस अधिनियम के तहत जारी आदेशों के अंतर्गत प्राप्त, अर्जित या उत्पन्न कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ग) में यह प्रावधान है कि 1961 के अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के प्रारंभ होने की तिथि को लंबित किसी भी कार्यवाही और 1 अप्रैल, 2026 के बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही (जिसमें नोटिस, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, पुनर्संणना, त्रुटि-सुधार, जुर्माना, संदर्भ, पुनरीक्षण और अपील शामिल भी हैं) पर 1 अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में लागू होते रहेंगे और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरी की जाएगी;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ङ) में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को किसी आयकर प्राधिकरण या निरस्त आयकर अधिनियम के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष आवेदन, अपील, संदर्भ या पुनरीक्षण या किसी अन्य रूप में लंबित कोई भी कार्यवाही उसी प्रकार जारी रखी जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा जैसे कि मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है;

अतः, अब, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) से (ग) और (ङ) के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा, अधिनियम 1961 की धारा 10(23ईई) के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड (एनसीसीएल) द्वारा स्थापित "कोर सेटलमेंट गारंटी फंड (पैन: AAAJN1263G)" जो एक मान्यता प्राप्त क्लियरिंग निगम है, को निर्धारण वर्ष 2019-2020 से 2026-2027 के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, यथा:

(क) कोर सेटलमेंट गारंटी फंड 1961 के अधिनियम की धारा 139(4ग) के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा; और

(ख) नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड (एनसीसीएल) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा क्लियरिंग निगम के रूप में प्राप्त मान्यता बनी रहती है।

3. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर अधिनियम 1961 की धारा 10(23EE) के तहत छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

[सं.78/2026/फा. सं.197/39/2018-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष आवेदन दाखिल किए जाने वाले वर्ष से अर्थात् पूर्वव्यापी प्रभाव से इस अधिसूचना को लागू करने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2026

S.O. 3683(E).— Whereas, section 10(23EE) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) provided for exemption of any specified income of such Core Settlement Guarantee Fund, set up by a recognised clearing corporation in accordance with the regulations as may be notified by the Central Government in the Official Gazette for the purposes of that clause;

And whereas, the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) was repealed by section 536(1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025);

And whereas, section 536(2)(a) and (b) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), *inter alia*, provides that irrespective of the repeal of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act of 1961) and subject to sub-section (4) thereof, nothing shall affect-

(i) the previous operation of the provisions of the Act of 1961 and any order or anything duly done or suffered thereunder; or

(ii) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act of 1961 or orders under that Act;

And whereas, section 536(2)(c) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that the provisions of the Act of 1961 shall continue to apply to any proceeding pending on the date of commencement of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and to any proceedings initiated on or after the 1st April, 2026 (including notices, assessment, reassessment, recomputation, rectification, penalty, reference, revision and appeals) in respect of any tax year beginning before the 1st April, 2026 and such proceedings shall be carried out as per the procedure specified in the Act of 1961;

And whereas, section 536(2)(e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that any proceeding pending on the date of its commencement before any income-tax authority or any other authority constituted under the repealed Income-tax Act, Appellate Tribunal, or any court, by way of application, appeal, reference or revision or by any other means, shall be continued and disposed of as if this Act had not been enacted;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 536(2)(a) to (c) and (e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby notifies the "Core Settlement Guarantee Fund (PAN: AAAJN1263G) set up by the National Commodity Clearing Limited

(NCCL)", a recognised clearing corporation, for the purposes of section 10(23EE) of the Act of 1961, for the assessment years 2019-2020 to 2026-2027.

2. This notification shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) the Core Settlement Guarantee Fund shall furnish return of income in accordance with section 139(4C) of the Act of 1961; and

(b) the National Commodity Clearing Limited (NCCL) shall continue to be recognised as a clearing corporation by the Securities and Exchange Board of India.

3. Failure to comply with the above conditions shall result in withdrawal of exemption under section 10(23EE) of the Act of 1961 and initiation of proceedings under the said Act.

[No.78 /2026/F.No.197/39/2018-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that interests of no person are adversely affected by giving retrospective effect to this notification from the year in which the application was filed before the Central Board of Direct Taxes or Income-tax Department.